

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उमवान

सुरेश
वनाम हेताराम आदि

दावा बाबत :- 88.87A.CT


मुकदमा नम्बर :- 155/2019

निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादी की ओर से वकील शैवान सिंह की व प्रतिवादी सं० 1, 5, 8 की ओर से वकील संजय गोरमाजी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि शैवी मोजा मालकाय के खाता सं० 170/59 के खासरा सं० 28/1 की 2.7960 हे०, खासरा सं० 93/1 की 3.7810 हे० कुल 6.5770 हे० कारण खातेदार कृषि कृषि प्रतिवादी सं० 1 हेताराम के नाम से राजस्व रिमांड में दर्ज है के प्रतिवादी सं० 1 हेताराम का नाम कलभजन किशु जागर वादी सुरेश प्रतिवादी सं० 2 उमेश सिंह, प्रतिवादी सं० 3 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं० 4 हेताराम को बहिसा कारण के खातेदार का बतकार बौधित किशु जागर है के प्रतिवादी सं० 5 ता 8 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिसा वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 5 के पक्ष में ल्याग कर चुक्य कर लिया है इसलिए ल्याग किशु गय हिसा पर पंजापन विभाग का देय पंजापन मुल्य एवं रकम उभर आया करेन व यदि कृषि कृषि कोक के रदन हो तो रदन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिमांड में अमल हुआमद किया जावे राजीगामा का डि० का ल्याग पठा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभाषी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
कैम्प
2021